ग्राम अरेड़ी में अवैध निर्माण किया जमींदोज

कार्रवाई

- अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई
- दोनों कॉलोनाइजर चार-चार एकड़ में कर रहे थे प्लाटिंग
- जिला प्रशासन और पुलिस ने की संयुक्त कार्रवाई

नवभारत संवाददाता

भोपाल, 4 फरवरी. राजधानी में बुधवार को अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई. हूजूर तहसील में जेसीबी चलाकर निर्माण को तोड़ा गया.

कॉलोनाइरों के द्वारा अवैध प्लाटिंग की जा रही थी. इस तरह के अवैध निर्माण को

तोड़ने के कलेक्टर ने पूर्व में आदेश किये थे. उस आदेश के पालन में कार्रवाई की गई. इस भूमि पर हरिदेव लेक सिटी और सियाराम सिटी के द्वारा बिना बिल्डिंग परमीशन, बिना रैरा पंजीयन प्लाटिंग की जा रही थी. साथ ही हथाई खेड़ा डेम से लगाकर कर यह निर्माण किया जा रहा था जो कि ग्रीन बेल्ट का क्षेत्र लगता है. यह दोनों कोलोनाइजर के द्वारा लगभग 4-4 एकड़ कृषि भूमि पर प्लाटिंग की जा रही थी.

इनका कहना है

ग्राम अरेड़ी में कृषि भूमि पर अवैध प्लाटिंग के खिलाफ कार्रवाई की गई,जिसके तहत दीवार और बाउंड्री वाल को जेसीबी से तोड़ा गया.

अतुल शर्मा,
तहसीलदार, हूजूर तहसील

जिस कृषि भूमि पर कॉलोनाइजर के द्वारा अवैध प्लाटिंग की जा रही थी. वहां पर चारों तरफ बाउंड्री वाल निर्माण के साथ ही सीसी सड़क भी बनाई गई था. प्लाट बैचने के लिए साईज के आधार पर मुढ़ढी लगा दी गई थी. जिसे तोड़ने की कार्रवाई की गई. छोटे या बड़े तालाब और नदियों से निर्माण करने की दूरी एनजीटी की निर्धारित है. तालाब के लिए 100 से 500 मीटर और नदियों से 30 मीटर तय हैं. यह फुल जलभराव के बाद निर्माण की दूरी है. जो कि कॉलोनाइजर के द्वारा पालन नहीं किया गया.

दो साल बाद भी नहीं रिकॉर्ड दुरुस्त

भोपाल, 4 फरवरी. टीटी नगर तहसील में बटान और रिकॉर्ड में सुधार नहीं किए जा रहे हैं. इस तरह की लापरवाही ग्राम बरखेड़ी कलां में खसरा न. 135/3/4/1/1 (एस), 137, 138 में से 2400 वर्गफुट की जमीन के मामले सामने आई है.

उक्त भूमि के बटान और रिकार्ड के लिए दो साल में दो बार 19 फरवरी 2024 तथा 28 फरवरी 2025 को लोक सेवा केन्द्र में आवेदन किया गया. शाहपुरा निवासी पीड़ित प्रदीप कुमार जैन दो साल से तहसील कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं. जबकि नामांतरण, बटान, सीमांकन सहित अन्य सभी कार्यों के लिए समय सीमा निर्धारित है उसके बाद भी यह हाल हैं. जब पीड़ित तहसील के चक्कर लगाकर थक गया तब इस मामले की शिकायत कलेक्टर के यहां जनसुनवाई में की गई. तहसील के सभी कार्यों के लिए प्रशासन के द्वारा समय सीमा निर्धारित की गई है. लेकिन जिस तरह से जनता को अपने कार्यों के लिए तहसील कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं उससे तो लगता है कि यह आदेश सिर्फ कागजों तक सिमट कर रह गए हैं.

यह मामला मेरी जानकारी में नहीं है दूसरे तहसीलदार के क्षेत्र में है. इसे दिखवाता हूं.
कुनाल राउत, तहसीलदार, टीटी नगर

आत्महत्या के लिए उकसाने वाले गिरफ्तार

भोपाल. बैरसिया थाना पुलिस ने आत्महत्या के एक मामले में युवक को उकसाने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है. सभी आरोपी पिछले 3 महीने से फरार चल रहे थे. बैरसिया ने तीन महीने पहले मृतक वाहिद खां के आत्महत्या के मामले में मर्ग कायम कर जांच की. आरोपी खालिद खां, सादिक, गुड्डू, बदूद खां, वसीम खां, हबीब खां, शरीफ खां, हनीफ खां, शराफत खां, असद खां और आसिफ खां निवासीगण ग्राम झिकरियाखुर्द बैरसिया ने वाहिद खां को जमीनी विवाद को लेकर लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया था. आरोपियों की प्रताड़ना से तंग आकर वाहिद खां ने 9 अक्टूबर को आग लगाकर आत्महत्या कर ली थी.

एक नजर में

युवतियों पर हमला वाले की तलाश जारी

भोपाल. पिपलानी और अयोध्या नगर थाना इलाके में तीन युवतियों पर धारदार हथियार से हमला करने वाले अज्ञात आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी है. करीब एक सप्ताह पहले अज्ञात आरोपियों के हमले की शिकार युवतियों ने थाने पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई. युवतियों पर हमला करने वाले आरोपी की तलाश में दोनों ही थाने की पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है लेकिन, अभी तक पुलिस को इसमें सफलता नहीं मिल सकी है. दोनों ही थाने की पुलिस आरोपी तक पहुंचने का प्रयास करने में जुटी है. शहर के जोन-2 इलाके में इस तरह की अन्य घटनाएं होने को लेकर पुलिस अधिकारियों ने इंकार किया है.

निगम अमले ने 192 जल के नमूने लिए

भोपाल. नगर निगम द्वारा नागरिकों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के लिए पानी की गुणवत्ता की जांच, लीकेज सुधार एवं शिकायतों के त्वरित निराकरण संबंधी कार्रवाई निरंतर जारी है. इसी तारतम्य में निगम अमले ने बुधवार को विभिन्न झुग्गी बस्तियों सहित संपूर्ण शहर से जल के परीक्षण हेतु कुल 192 स्थानों से जल के नमूने लिए. निगम द्वारा 08 परीक्षण शालाओं के माध्यम से जल का परीक्षण किया जा रहा है. निगम अमले ने 39 स्थानों पर पाईप लाइनों के लीकेज सुधारे और सीएम हेल्पलाइन एवं महापौर हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त शिकायतों में से 15 शिकायतों का संतुष्टिपूर्ण ढंग से निराकरण किया गया.

सड़क किनारे अवैध पार्किंग

भोपाल. शहर के पॉलीटेक्निक चौराहे के आसपास नो पार्किंग जोन में धड़ल्ले से कार चालक अपने वाहन खड़े कर रहे हैं. इसके चलते रोजाना भीषण जाम की स्थित सड़क पर बन रही है.

धोखाधड़ी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

12 आरोपियों को पहले ही कर लिया है गिरफ्तार

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 4 फरवरी. शेयर मार्केट में इनवेस्ट करने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का सायबर क्राइम ब्रांच ने पर्दाफाश किया है. पुलिस ने एक आरोपी की गिरफ्तारी की है, उसके अन्य फरार साथियों की तलाश की जा रही है.

पुलिस ने मामले में 12 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी दुबई भागने की फिराक में था. इससे पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया. मिली जानकारी के मुताबिक फरियादी मोहम्मद जैनुल निवासी कोहेफिजा ने शिकायत की थी कि करन बिरला नाम के व्यक्ति ने उनके व्हाटसएप पर पर संपर्क किया था. करन ने फरियादी से पीएमएचडीएफसी नाम के एप्लीकेशन के माध्यम से शेयर मार्केट में शाहाज सोलर नाम की कंपनी में इनवेस्ट करने के नाम पर अलग-अलग बैंक खातो में पैसा ऑनलाइन जमा करवाया.

फरियादी के साथ कुल 9 लाख 35 हजार रुपए की धोखाधड़ी की. मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने कार्रवाई शुरु की. तकनीकी आधार पर पुलिस ने बैंक खाता बेचने वाले आरोपियों की पहचान की. आरोपियों द्वारा धोखाधड़ी की राशि को दुबई से एटीएम के माध्यम से निकाले जाने का भी मामला पुलिस के संज्ञान में आया. इस दौरान पुलिस ने पैसे लेकर दुबई में भारतीय बैंक खाता बेचने वाले एक आरोपी निजामुद्दीन को कालीकट एयरपोर्ट केरल से गिरफ्तार किया.

12 वीं पास आरोपी निजामुद्दीन से पुलिस ने मौके पर 1 पासपोर्ट, 1 मोबाइल फोन और 1 सिम कार्ड जब्त किये गये. आरोपी से पूछताछ करते हुए पुलिस उसके अन्य फरार साथियों की तलाश कर रही है. मामले में पूर्व में केरला और महाराष्ट्र से 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. आरोपी से अबतक की पूछताछ में यह जानकारी सामने आई है कि आरोपियों द्वारा अन्य देशों में दी गई बैंकिंग सुविधा का उपयोग कर धोखाधड़ी की राशि निकाली जा रही थी.

संविदा कर्मचारियों का कृषि मंत्री के बंगले पर प्रदर्शन

- कृषि मंत्री ने लिखी नोटशीट कार्रवाई के दिए निर्देश
- संविदा कर्मियों वेतन में विसंगति से है परेशान

नवभारत संवाददाता

भोपाल, 4 फरवरी. राजधानी में बुधवार को कृषि मंत्री के बंगले पर संविदा कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया. यह प्रदर्शन मप्र संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के बेनत तले आत्मा परियोजना में कार्यरत संविदा कर्मचारियों ने वेतन समकक्षता को लेकर किया गया.

जिसमें विभाग के सेकड़ों संविदा कर्मचारी शामिल थे. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 30 जनवरी 2026 को संविदा कर्मचारी महासम्मेलन में घोषणा की थी. वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने भी वेतन समकक्षता किए जाने की घोषणा की थी जिसका पालन अभी तक नहीं किया गया. जिससे यह सभी कर्मचारी नाराज थे. संविदा नीति के अनुसार वेतन समकक्षता की घोषणा की थी. कर्मचारियों ने 22 जुलाई 2023 की नीति का पालन करने की मांग की.

एक सप्ताह में पूरी होगी मांग

नियमित कर्मचारी समकक्षता के अनुसार नियमित कर्मचारी जिस पद का वेतनमान है उसी के समकक्ष वेतन का संविदा कर्मचारी को सातवें वेतनमान का न्यूनतम दिये जाने की घोषणा की गई थी. प्रदर्शन के दौरान संविदा कर्मचारियों से कृषि मंत्री एंदल सिहं कंसाना ने मुलाकात की. उनकी मांग को एक सप्ताह में पूरा करने का आश्वासन दिया. उसके बाद कृषि मंत्री ने विभाग के प्रमुख सचिव को नॉटशीट भेज दी है.

15 साल की गुमशुदा छात्रा की तलाश में जुटी पुलिस

भोपाल. पंचशील नगर में रहने वाली एक 15 साल की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में गुम हो जाने की रिपोर्ट पुलिस ने दर्ज की है. टीटी नगर थाना पुलिस छात्रा की काल डिटेल्स निकालते हुए, उसकी तलाश में जुटी है.

छात्रा के माता पिता पंचशील नगर में संचालित छात्रावास में काम करते हैं. करीब 8 दिन पहले 11वीं में पढ़ने वाली छात्रा अचानक गायब हो गई. परिजनों ने मामले की शिकायत मंगलवार को थाने में दर्ज कराई. पुलिस ने जांच करते हुए गुमशुदा छात्रा की रिपोर्ट दर्ज कर तलाश करने में जुटी है. छात्रा के परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस छात्रा के मोबाइल नंबर की काल डिटेल्स निकाल रही है.

छात्रा के गायब होने से पहले की उसकी तबीयत खराब चल रही थी, उसके माता-पिता नजदीक में ही एक क्लीनिक में उसका इलाज भी करा रहे थे. 28 जनवरी को छात्रा अचानक गायब हो गई. इसके बाद भी उसने अपने फोन से काल कर माता-पिता से बात की थी.

सोम की दो कंपनियों के लाइसेंस सस्पेंड

नकली और अवैध शराब के परिवहन पर बड़ी कार्रवाई

भोपाल, 04 फरवरी. रायसेन जिले में स्थित सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रेवरीज लिमिटेड और मेसर्स सोम डिस्टिलरीज प्रा. लि. का लाइसेंस आबकारी आयुक्त ने बुधवार को सस्पेंड कर दिया है.

सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रेवरीज लिमिटेड रोजराचक जिला रायसेन में और मेसर्स सोम डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड सेहतगंज जिला रायसेन में संचालित है. आबकारी आयुक्त अभिजीत अग्रवाल द्वारा जारी आदेश के अनुसार कंपनियों के संचालक, प्रतिनिधि, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता एवं कर्मचारियों के विरुद्ध अपर सत्र न्यायालय, देपालपुर जिला इंदौर के प्रकरण 21/2021 में पारित निर्णय के आधार पर यह कार्रवाई की गई है. इसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर द्वारा संबंधित आपराधिक अपीलों में सजा के क्रियान्वयन पर रोक लगाई गई है, लेकिन दोषसिद्धि अभी भी प्रभावी है.

इस मामले में आबकारी आयुक्त ने महाधिवक्ता कार्यालय से विधिक अभिमत लेने के बाद यह कार्रवाई की है. आदेश में आबकारी आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 31 के तहत लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई कानून सम्मत है और इससे न्यायालय की अवमानना का कोई प्रश्न नहीं बनता. मामला 23 दिसंबर 2023 को कोर्ट पहुंचा था. इससे पहले कंपनी को कोर्ट द्वारा 26 फरवरी 2024 को कंपनी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था.

आदेश में कहा गया है कि नकली शराब परिवहन परमिट और अवैध शराब का परिवहन करने के मामले में कंपनी के विरुद्ध कोर्ट द्वारा कारावास और अर्थदंड तय किया गया है. आरोपी द्वारा फर्जी परमिट तैयार करने के बाद परिवहन किए गए.

नजर हटी, दुर्घटना घटी...

भोपाल. करोंद इलाके में सड़क दुर्घटना में एक कार के दुर्घटनाग्रस्त हो गई. हादसे में कार सवार युवक को गंभीर चोटें आईं है. घटना पर पुलिस की कार्रवाई जारी है.

बिजली मीटर से छेड़छाड़ करने पर धारा 136 में होगी कार्रवाई

भोपाल, 04 फरवरी. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि यदि बिजली के मीटर में अनावश्यक छेड़छाड़ पाई जाती है तो ऐसा करने वालों के विरूद्ध धारा 136 के तहत कार्रवाई होगी.

कंपनी का कहना है कि किसी उपभोक्ता को मीटर, उसकी रीडिंग, बिलिंग या बिजली व्यवधान जैसी कोई शिकायत हो तो वे तुरंत कॉलसेंटर के फोन नंबर 1912 पर या ऑनलाइन वेबसाइट श्वश्रहह्लड्डद्य.द्वश्वष्ठ.द्वठ्ठ अथवा उपाय एप या बिजली वितरण केन्द्र/ जोन कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकते हैं. उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण की पूरी व्यवस्था की गई है.

यदि उपभोक्ता शरारती तत्वों के बहकावे में आकर मीटर में तोड़फोड़ या उखाड़कर अन्यत्र स्थापित करने या सर्विस लाइन को नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं तो उनके विरूद्ध विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 136 के तहत कार्रवाई होगी जिसमें 3 वर्ष का कारावास अथवा 10 हजार रुपये का जुर्माना अथवा दोनों सजाओं से दण्डित करने का प्रावधान है.

युवक ने फांसी के फंदे पर लटककर दी जान

शहर से बाहर गई थी पत्नी

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 4 फरवरी. गोविंदपुरा थाना क्षेत्र में एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी ली. बुधवार को पुलिस ने पीएम कराते हुए शव परिजनों को सौंप दिया. युवक ने यह कदम तब उठाया, जब उसकी पत्नी शहर से बाहर गई थी और घर में कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था.

पुलिस को मौके पर सुसाइड़ नोट भी बरामद नहीं हुआ. मिली जानकारी के मुताबिक 36 साल के मनोज बहेलिया गोविंदपुरा इलाके में अपनी पत्नी के साथ रहते थे. बीते कुछ दिनों से उनकी पत्नी लखनऊ में है. भोपाल में मनोज के सास और ससुर भी उसके पडोस वाले घर में रहते हैं. मंगलवार को देर रात मनोज ने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना की जानकारी तब सामने आई जब मनोज की सास देर रात को खाना खाने के लिए उन्हें बुलाने गई. दरवाजा अंदर से बंद होने और कोई भी आवाज नहीं आने पर मनोज के ससुर ने पडोसियों की मदद से दरवाजा तोड़ा. मनोज को फंदे पर झूलता देख तुरंत ही पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पीएम कराते हुए मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी. मनोज के ससुर ने बताया कि वह गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में संचालित एक कंपनी में मजदूरी करता था. हाल ही के दिनों में वह आर्थिक तंगी से जूझ रहा था. घटना के दौरान घर पर वह अकेला ही था.

मां की तेरहवीं पर किया सुसाइड

भोपाल. बिलखिरिया क्षेत्र में एक 55 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी मां की तेरहवीं पर ही आत्महत्या कर ली. बुधवार को शव का पीएम कराते हुए पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी. मृतक का परिवार इलाके में रहता था. मंगलवार को उन्होंने अपनी माता की तेरहवीं का कार्यक्रम पूरा होने के बाद घर के एक कमरे में जाकर फांसी लगा ली. परिजनों ने शव को फंदे पर लटकता देखा और पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की. पुलिस के सामने आत्महत्या के कारण को लेकर यह जानकारी सामने आई है कि मृतक की बेटी ने परिवार वालों के खिलाफ जाक एक युवक से शादी कर ली. बेटी के इस फैसले से उसके पिता लगातार नाराज चल रहे थे. हाल ही में बेटी के पिता की माता का निधन हो गया था. संभवत: लगातार तनाव के चलते उन्होंने आत्महत्या कर ली. पुलिस मामले में जांच कर रही है.

मीटिंग पुलिस आयुक्त संजय कुमार ने ली बैठक

अपराधों की प्रवृत्ति के संबंध में ली जानकारी

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 4 फरवरी. नवागत पुलिस आयुक्त संजय कुमार ने बुधवार को कमिश्नर कार्यालय सभागार में सभी राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों की बैठक.

इस दौरान अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अवधेश गोस्वामी और सभी पुलिस उपायुक्त, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त और थाना प्रभारी के साथ अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे. नवागत पुलिस आयुक्त संजय कुमार ने परिचय उपरांत जोनवार थाना क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति,

चुनौतियों एवं अपराधों की प्रवृत्ति के संबंध में जानकारी ली और निर्देशित किया कि पीक आवर्स में वरिष्ठ अधिकारी और थाना प्रभारी अनिवार्य रूप से व्यस्ततम स्थानो पर रहकर यातायात व्यवस्था बनाएंगे. संवेदनशील इलाकों एवं भीड़भाड़, बाजार वाले क्षेत्रों में नियमित पेट्रोलिंग, वाहन चेकिंग, हिस्ट्रीशीटर की चेकिंग, माइक्रो बीट सिस्टम के माध्यम से जन संवाद कर लोगों को हैलमेट, शीट बेल्ट, साइबर अपराध, महिला सुरक्षा इत्यादि विषयों पर जागरूक कर पुलिस सूचनातंत्र मजबूत करेंगे.

निगम अमले ने 4 ट्रक सामान किया जब्त

भोपाल. नगर निगम द्वारा शहर में अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई निरंतर जारी है. इसी तारतम्य में निगम के अतिक्रमण निरोधक दस्ते के दलों ने सीएम हेल्प लाइन, कॉल सेंटर व अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों के निराकरण तथा निगम की नियमित कार्रवाई के तहत पुराने भोपाल के व्यस्ततम बाजार क्षेत्रों में अतिक्रमणों के विरूद्ध कार्रवाई जारी रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों से अतिक्रमणों को हटाकर 04 ट्रक सामान जब्त किया साथ ही अन्य क्षेत्रों से अवैध छप्पर, फेसिंग, खंबे, शेड, बाउण्ड्रीवाल, लोहे की जाली, चबूतरे, मेट्रो प्रोजेक्ट में बाधक दुकानें, दुकानों के बाहर रखा सामान के अलावा ठेले, गुमठी, पान पार्लर आदि जब्त किए.

पुलिस अधिकारियों को अति-उत्कृष्ट सेवा पदक सम्मान

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 4 फरवरी. केंद्रीय गृह मंत्रालय भारत सरकार ने मप्र के दो पुलिस विभाग के अधिकारियों को वर्ष 2025 अति-उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है.

पंकज कुमार श्रीवास्तव विशेष पुलिस महानिदेशक, एएनओ/एस.टी.एफ./अ.अ.वि./ सतर्कता पुलिस मुख्यालय भोपाल और अवधेश कुमार गोस्वामी अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त नगरीय पुलिस भोपाल को यह सम्मान मिला है. केन्द्रीय गृह मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से जारी किए गए आदेशानुसार दिनांक 28.07.2018 के माध्यम से

स्थापित केन्द्रीय गृहमंत्री का अति-उत्कृष्ट सेवा पदक और उत्कृष्ट सेवा पदक वर्ष 2025 के लिये पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों को उनकी अति-उत्कृष्ट/उत्कृष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किया जाता है.